न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 88/15 GCMS NO 2015/00242

1. मनहरी पुत्र रामकिशन
2. सोमा पत्नि स्व0कन्नूलाल
3. निहाल सिह
4. कमलेश पिसरान कन्नूलाल समस्त जातियान मीना निवासीयान सुल्तानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रामसहाय पुत्र छोटू
2. दुलारी बेवा किसल्ली
3. मोहर सिह
4. किरोडी पिसरान किसल्ली
5. कमलेश पुत्री किसल्ली
6. निहाली पुत्री किसल्ली
7. निरी पुत्री किसल्ली
8. बत्तू
9. हजारी पिसरान भोली समस्त जातियान जोगी निवासी बदलेटा खुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली
10. राधेश्याम
11. हरि
12. बुधराम पिसरान भगवान्या
13. छिंगो पुत्री भगवान्या
14. सुक्को पुत्री भगवान्या
15. प्रभू पुत्र रामकुवार
16. शांति देवी बेवा रमज्या
17. सन्तोष पुत्र रमज्या
18. माया पुत्री रमज्या
19. बेजन्ती पुत्री रमज्या
20. निशा पुत्री रमज्या
21. शीला पुत्री रमज्या
22. वर्षा पुत्री रमज्या समस्त जातियान जागा निवासीयान बदलेटा खुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली
23. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली
24. जिला कलेक्टर करौली

रैस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:57 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्व मु0नं0 132/02 निर्णय व डिक्री दिनांक [illegible]2.04 न्यायालय उपखण्ड कलक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुनील कुमार जिंदल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री हंसराम गुर्जर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिनांक 25.11.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.04 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 2 ता 7 के पिता/पति व रेस्पो0 संख्या 8 व 9 द्वारा दावा डिक्लेरेशन, परपीच्यूल इंजंक्शन एवं इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 190/3 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा ग्राम बदलेटा खुर्द तहसील टोडाभीम मे है। जिसके दौराने सेटलमेंट नवीन ख0न0 472,476,477,478,479,293/1131,393/1132 तरमीम किये है। जिनका कुल रकबा 2.10 है0 है। जिनका वादीगण खातेदार काश्तकार है। दौराने सेटलमेट कर्मचारियो एवं अधिकारियो ने गैर कानूनी तरीके से मौका तब्दील कर आराजी ख0न0 460 रकबा 12 ऐयर, 462 रकबा 30 ऐयर को साबिक ख0न0 190/3 से तरमीम करना चाहिए था। किन्तु उन्होने प्रतिवादीगण से साज कर वादीगण के कब्जे काश्त के उक्त दोनो नम्बर को 190/3 के बजाय 190/6 से तरमीम करके गंभीर कानूनी भूल की है जबकि मौके पर आज भी वादीगण इन आराजीयात को वहैसियत काश्त करते चले आ रहे है। जिससे प्रतिवादीगण एवं अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। आराजी ख0न0 472 रकबा 13 ऐयर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात है जो साबिक ख0न0 190/6 से तरमीम होना चाहिए था किन्तु उसे गैरकानूनी तरीके से साबिक ख0न0 190/3 से तरमीम करके गंभीर कानूनी भूल की है। इस आराजी से वादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। यह खेत ख0न0 472 प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज होना न्याय संगत है। तथा इसी प्रकार से ख0न0 293/1132 रकबा 45 ऐयर को चारागाह नही बनाकर कानूनी भूल की है। जिससे वादीगण का कोई संबंध वास्ता नही है। जिसे चारागाह दर्ज करने के आदेश दिया जाना आवश्यक है एवं खसरा न0 460 व 462 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त गलती को सही कराने का वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कहने पर प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया तथा उक्त गलती के आधार पर प्रतिवादीगण ख0न0 460 व 462 की खातेदारी होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते है इसलिए पी आई से पाबंद किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण बंटवारा कराने को तैयार नही होने के कारण वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा किया जाना आवश्यक है। अतः उक्तानुसार दावा डिक्री किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलाटगण /प्रतिवादी संख्या 6 एवं प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान ने यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री रूयेदाद मिसल एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 तथा 2 ता 7 के बुजुर्ग किसल्ली तथा 8 व 9 द्वारा उनवानी मुकदमा छोटू बनाम सरकार व भगवान्या वगै0 का अपीलांट व रेस्पो0 न0 10 ता 24 के विरूद्व दावा बाबत घोषणा खातेदारी,स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया । जिसमे रेस्पो0 न0 1 तथा 2 ता 7 के बुजुर्ग किसल्ली तथा 8 व 9 द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 न0 10 ता 22 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 460 रकबा 21 ऐयर व 462 रकबा 30 ऐयर की खातेदारी स्वयं के नाम कराने तथा रेस्पो0 न0 1 ता 9 की कब्जे व खातेदारी की आराजी ख0न0 472 रकबा 13 ऐयर की खातेदारी अपीलांट व रेस्पो0 न0 10 ता 22 के नाम खातेदारी कराने तथा ख0न0 393/1131 रकबा 45 ऐयर की खातेदारी रेस्पो0 न0 1 ता 9 के स्थान पर चारागाह दर्ज किये जाने का अनुतोष अधिनस्थ न्यायालय से चाहा गया था। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ता 7 के बुजुर्ग किसल्ली तथा 8 व 9 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण न0 669/97 उनवानी छोटू बनाम सरकार व भगवान्या वगै0 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन के समक्ष दिनांक 14.8.97 को प्रस्तुत किया गया । जिसमे अपीलांट दिनांक 8.1.98 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा दिनांक 26.3.98 को अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा पत्रावली वास्ते तलबी व जबाब हेतु चली आ रही थी जिसके पश्चात रेस्पो0संख्या 1 तथा 2 ता 7 के बुजुर्ग किस्सली तथा 8 व 9 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.7.99 को प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी पेश किया और पत्रावली जबाव दरखास्त मे लगातार दिनांक 3.7.20 तक चली आ रही थी तथा दिनांक 2.9.2000 को रेस्पो0 न0 1 तथा 2 तथा 7 के बुजुर्ग किसल्ली तथा 8 व 9 का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते तनकीयात दिनांक 23.10.2000 नियत की गई लेकिन पत्रावली मे ना तो किसी प्रकार का कोई अमीटमेट किया गया ना ही अपीलांट द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 तथा 2 ता 7 के बुजुर्ग किसल्ली तथा 8 व 9 द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे का जबाबदावा प्रस्तुत किया गया। जब उक्त पत्रावली मे जबाब दावा ही प्रस्तुत नही किया गया तो पत्रावली को तनकी मे लगाना न्यायोचित नही था। और ना ही अपीलांट का जबाब दावा बन्द किया गया। इसलिए अपीलांट के पक्ष को सुने बिना जबाब दावा पेश हुए पत्रावली को तनकीयात मे लगाना भारी तथ्यात्मक कानूनी भूल हे। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त पत्रावली प्रकरण संख्या 669/97 को उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम मे नयी राजस्व कोर्ट खुंलने के पश्चात उक्त मुकदमे का स्थानान्तरण टोडाभीम किया गया। जिसकी अपीलांट को जानकारी नही थी। क्योकि कोर्ट के स्थानान्तरण की सूचना अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को नही दी गई ना कोर्ट द्वारा कोई नोटिस जारी कर अपीलांट को सूचना दी गई। जबकि कानूनन पत्रावली के किसी [illegible] मे स्थानान्तरण होने पर कोर्ट को जरिये नोटिस सूचना दिया जाना आवश्यक होता है। [illegible] न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये ही दिनांक 31.10.03 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत कर की जाकर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर डिक्री कर दिया गया। जिसकी जानकारी अपीलांट को समय पर नही हो सकी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पेज न0 3 मे यह अंकित किया है कि वादी[illegible] रेस्पो0 न0 1 तथा 2 ता 7 के बुजुर्ग किसल्ली तथा 8 व 9

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:57 IST
Reason: SelfAttested

की खातेदारी की आराजी 190/3 रकबा 8 बीघा 6 विस्वा बटलेदा खुर्द तहसील टोडाभीम मे है। जिसके सेटलमेंट द्वारा नवीन ख0न0 472,476,477,478,479,293/1131,393/1132 कायम किया जाना बताया है जिसमे यह दर्ज किया है कि ख0न0 472 रकबा 13 ऐयर, 293/1131 रकबा 45 ऐयर पर वादीगण /रेस्पो0 का कब्जा काश्त नही है। बल्कि ख0न0 472 पर अपीलाट व रेस्पो0 न0 10 ता 14 के बुजुर्ग भगवान्या व 15 प्रभू तथा 16 ता 22 के बुजुर्ग रमज्या का कब्जा होना बतीया एवं ख0न0 293/1131 पर चारागाह की जमीन होना बताया है तथा अपीलांट व रेस्पो0 न0 10 ता 14 की खातेदारी व कब्जे की जमीन ख0न0 460 व 462 जो साबिक ख0न0 190/6 से कायम किये है। वादीगण /रेस्पो0 न0 1 तथा 2 ता 7 के बुजुर्ग किसल्ली तथा 8 व 9 का कब्जा होना मानकर गलत निर्णय व डिकी रेस्पो0 न0 1 तथा 2 ता 7 के बुजुर्ग किसल्ली तथा 8 व 9 के हक मे जारी की गई है। जबकि उक्त तथ्य की अदालत मातहत द्वारा ना तो मौके की रिपोर्ट पटवारी से ली गई। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे अपीलांट व रेस्पो0 न0 10 ता 22 की साबिक खातेदारी ख0न0 190/6 रकबा 10 बीघा जिसके सेटलमेंट द्वारा 460 रकबा 21 ऐयर, 462 रकबा 30 ऐयर, 471 रकबा 45 ऐयर, 539 रकबा 8 ऐयर, 540 रकबा 9 ऐयर, 541 रकबा 7 ऐयर, 542 रकबा 40 ऐयर, 543 रकबा 70 ऐयर, 553 रकबा 18 ऐयर, 593/1116 रकबा 2 ऐयर कुल किता 10 कुल रकबा 2.50 है0 कायम किये गये है। जिनमे से अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 न0 10 ता 22 की ख0न0 460 व 462 कुल रकबा 51 ऐयर कम करते हुए उक्त दोनो नम्बर रेस्पो0 न0 1 ता 9 के नाम खातेदारी दर्ज कर देने से 51 ऐयर जमीन रिकार्ड मे कम कर देने का अदालत मातहत को कोई कानूनी अधिकार नही है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 10.8.15 को हुई जब अपीलांट किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गया । इसलिए जानकारी के आधार पर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी विधि सम्मत व न्याय पूर्ण तथा कानूनन सही है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया है। जबकि सत्यता यह है कि अपीलांटगण को तहत न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से नोटिस जारी कर तलब किया गया है। अपीलांटगण बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने के कारण ही उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अपीलांट का यह भी कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण/प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर प्रदान नही हुआ जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अपीलांटगण/प्रतिवादीगण को अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त जवाब दावा बंद किया गया है। भूमि खसरा न0 190/3 रकबा 8 बीघा 6 विस्वा ग्राम बदलेटा खुर्द तहसील टोडाभीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी जिसके सेटलमेंट द्वारा नवीन खसरा न0 कायम किये है जिनमे से खसरा न0 472 रकबा 13 ऐयर, 293/1131 रकबा 45 ऐयर पर रेस्पो0/वादीगण का कब्जा काश्त है एवं खसरा न0 293/1131 रकबा 45 ऐयर चारागाह के काम आ रही है। जिससे वादीगण/रेस्पो0 का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है ना ही रहा है। सेटलमेंट द्वारा विधि विरूद्व रूप से साबिक ख0न0 190/3 से कायम कर इन नम्बरो की खातेदारी वादीगण/रेस्पो0 के नाम गलत रूप से दर्ज की गई है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात अपने निर्णय मे माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के समक्ष पेश किया गया था । दावा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मे विचाराधीन रहते हुए उपखण्ड टोडाभीम नव सृजित हो जाने के कारण पत्रावली को उपखण्ड टोडाभीम मे स्थानान्तरित किया गया परन्तु प्रकरण को स्थानान्तरित करने के सबंध मे अपीलांट/प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से भी सूचित नही किया गया। इसके कारण ही अपीलांटगण/प्रतिवादीगण उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के यहाँ उपस्थित नही हो सके। अपीलांट अधिवक्ता के उक्त कथन की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से होती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा जवाव दावा भी पेश नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। जबकि कानून मे स्पष्ट प्रावधान है कि यदि एक अदालत से दुसरी अदालत मे किसी प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाता है तो स्थानान्तरण बावत सूचना देना आवश्यक होता है जो वादीगण के साथ साथ न्यायालय का भी दायित्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट से जबाव दावा प्राप्त किये बगैर ही खसरा न0 460 व 462 की खातेदारी भूमि को अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये गये है जबकि कानूनन किसी रिकार्डेड खातेदार की भूमि मे किसी प्रकार का परिवर्तन खातेदार की अनुपस्थिति मे नही किया जा सकता है। वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद घोषणा खातेदारी का था जिसमे प्रभावित पक्षकारान को सुना जाना आवश्यक होता है तथा जबाव दावा प्राप्त किया जाकर जबाव दावा अनुसार तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन किये जाने के उपरान्त ही किया गया निर्णय विधिवत निर्णय होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलांट की अनुस्थिति मे अपीलांटगण के विरूद्व निर्णय, डिक्री पारित की गई है जो विधि विरूद्व है। जिसे अपास्त किया जाना न्यायोचित है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण/अपीलांट से जबाब दावा प्राप्त कर जबाव दावे अनुसार तनकीयात कायम की जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रत्येक तनकी पर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्राप्त करते हुए पुनःनिर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना विधि सम्मत है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण संख्या 132/02 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.2.04 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनरथ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांटगण/प्रतिवादीगण से जबाव दावा प्राप्त किया जाकर जबाब दावे अनुसार तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्राप्त करते हुए पुनःनिर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के यहॉ दिनांक 29.12.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी• सवाई माधोपुर (राजस्थान)

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:57 IST
Reason: SelfAttested